

## प्रेस नोट – जनपद फतेहगढ़



दिनांक:- 21-2-2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहगढ़ के निर्देशन में जनपद फतेहगढ़ में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहगढ़ व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में दिनांक 20.02.2021 को कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्र के लकूला में दबिश दी गई जहाँ से अभियुक्त 1. साजन उर्फ लूला पुत्र महावीर गिहार 2. सुधान गिहार पुत्र श्यामसिंह गिहार 3. सिकन्दर गिहार पुत्र लालाराम गिहार नि0गण लकूला गिहार बस्ती थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ को समय 18.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से कच्ची अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण व अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली फर्रुखाबाद पर क्रमशः मु0अ0सं0 146/21 धारा 60/60(2) Ex Act व 272 भादवि0 व मु0अ0सं0 147/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

### बरामदगी:-

- 1- शराब बनाने के उपकरण जिसमें 2 किलो यूरिया व दो पिपिया में 10-10 लीटर शराब व एक पिपिया में 20 लीटर तरल पदार्थ अपमिश्रित।
- 2- 01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 जिन्दा कारतूस

### अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. साजन उर्फ लूला पुत्र महावीर गिहार नि0 लकूला गिहार बस्ती थाना कोतवाली फर्रुखाबाद
2. सुधान गिहार पुत्र श्यामसिंह गिहार नि0 लकूला गिहार बस्ती थाना कोतवाली फर्रुखाबाद
3. सिकन्दर गिहार पुत्र लालाराम गिहार नि0 लकूला गिहार बस्ती थाना कोतवाली फर्रुखाबाद



### आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 146/21 धारा 60/60(2) Ex Act व 272 भादवि0 थाना कोतवाली फरूखाबाद
2. मु0अ0सं0 147/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली फरूखाबाद
3. मु0अ0सं0 148/21 धारा 147/332/353/224/225/323 /352/336/186/504/506 आर्म्स एक्ट भादवि0 7 CLA Act थाना कोतवाली फरूखाबाद
4. मु0अ0सं0 591/18 धारा 302 377 भादवि0 व 3/4 पास्को एक्ट थाना कोतवाली फरूखाबाद
5. मु0अ0सं0 180/19 धारा 60 आबकारी थाना कोतवाली फरूखाबाद

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 कोतवाली फरूखाबाद वेद प्रकाश पाण्डे मय पुलिस टीम।